



महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा अधिनियम, 2024

प्रलिस के लयः

सरवोच्च नयायालय, वधिवरुदध करया-कलाप (नवारण) अधनयलम, राषटरीय अनवेषण अभकरण, साइबर आतंकवाद, नयायकल समीकषा

मेन्स के लयः

जमानत प्रावधानों से संबंघतल प्रमुख नयायकल घषणाएँ, UAPA से संबंघतल चतलएँ, महाराषट्र वशष लोक सुरक्षा वधयक, 2024

सरोतः डेककन हेरालड

चरचा में कयों?

हाल ही में महाराषट्र सरकार ने शहरी कषेत्रों में नकसलवाद की बढती उपस्थतलको संबंघतल करने के उददेश्य से एक वयापक नया कानून, महाराषट्र वशष सारवजनकल सुरक्षा (Maharashtra Special Public Security- MSPS) वधयक, 2024 प्रस्तावतल कया है।

- यह वधयक अपने वयापक एवं सख्त प्रावधानों के कारण चरचा का वषय बना हुआ है।

नोट

- भारत में नकसलवाद की स्थतलः वर्ष 2018 से 2023 की अवघा के दौरान **वामपंथी उग्रवाद** से संबंघतल 3,544 घटनाएँ घतल हुईं जनलमें 949 लोगों की मृत्यु हुई।
- शहरी नकसलवादः 'शहरी नकसल' या 'अरबन नकसल' शबद माओवादी रणनीतलपर आधारतल है, जसके तहत वे नेतृत्व, जनता को संगठतल करने और कारमकल तथा बुनयादी ढाँचा उपलबध कराने जैसे सैन्य कार्यों के लयल शहरी कषेत्रों की ओर अग्रसर होते हैं।
 - यह रणनीतल **CPI (माओवादी)** के "शहरी परलरेकष्य" नामक डॉक्यूमेंट पर आधारतल है, जसलमें बताया गया है कल इस रणनीतलका ध्यान मजदूर वर्ग को संगठतल करने पर होना चाहयल, जो "हमारी क्रांतलका नेतृत्व" है।
- यदयपल, शहरी नकसल या अरबन नकसल शबद की कोई आधकरकल परभाषा नहीं है।

महाराषट्र वशष लोक सुरक्षा अधिनयलम, 2024 के प्रावधान कया हैं?

- पृषठभूमलः
 - सरकार का कहना है कनलकसलवाद, जो परंपरागत रूप से दूर-दराज के कषेत्रों तक ही सीमतल रहा है, अबउन अग्रणी संगठनों के माध्यम से शहरी कषेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जो सशस्त्र नकसली कैंडरों के लयल रसद (लॉजसलटकलस) और सुरकषतल आशरय प्रदान करते हैं।
 - वधिवरुदध करया-कलाप (नवारण) अधनयलम (UAPA) और महाराषट्र संगठतल अपराध नयलत्रण अधनयलम (MCOCA-मकोका) सहतल मौजूदा कानून इस उभरते खतरे से नपलटने के लयल अपर्याप्त प्रतलत होते हैं।
 - MSPS वधयक छत्तीसगढ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडलशा जैसे राज्यों के समान कानूनों के आधार पर तैयार कया गया है, जलहोंने नकसली गतवधयलियों पर अंकुश लगाने के लयल लोक सुरक्षा अधनयलम लागू कयल हैं।
- वधयक के प्रमुख प्रावधानः
 - सरकार कसलसी भी संगठन को उसकी गतवधयलियों के आधार पर वधिवरुदध (unlawful) घषतल कर सकतल है।
 - वधयक में वधिवरुदध संगठनों से संबंघतल चार मुख्य अपराधों की रूपरेखा दी गई है : सदस्य बनना, धन जुटाना, प्रबंधन करना और वधिवरुदध गतवधयलियों में सहायता करना।
 - दंड के रूप में 2-7 वर्ष के लयल कारावास तथा 2-5 लाख रुपए के बीच जुरमाने का प्रावधान कया गया है।

- वधियक के अंतर्गत अपराध **संज्ञेय** (cognisable)- जनिमें बनिा वारंट के गरिफ्तारी की अनुमति होती है तथा **गैर-ज़मानती (non-bailable)** होते हैं।
- वधियक ज़िला मजिस्ट्रेटों या पुलिस आयुक्तों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने की अनुमति देकर, उच्च प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ करते हुए, त्वरति अभियोजन को सक्षम बनाता है।

■ UAPA से तुलना:

- जहाँ UAPA वधिविरुद्ध क्रियाकलापों को भी लक्षित करता है वहीं MSPS वधियक "वधिविरुद्ध क्रियाकलाप" की परभाषा का **वसितार** करता है ताकि उन कृत्यों को शामिल किया जा सके जो लोक व्यवस्था एवं कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं तथा जनता के बीच भय पैदा करते हैं।
- UAPA की परभाषाओं को वर्षों से न्यायिक व्याख्या द्वारा परिष्कृत किया गया है, जबकि MSPS वधियक की परभाषाएँ स्पष्ट रूप से व्यापक हैं।
- इसके अलावा, **MSPS वधियक अभियोजन प्रक्रिया को सरल बनाता है**, जिसके बारे में सरकार का तर्क है कि इससे देरी कम होगी और प्रवर्तन में सुधार होगा।

वधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (नविवरण) अधिनियम

- **वधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (नविवरण) अधिनियम, 1967** को व्यक्तियों और संगठनों के कुछ वधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी **रोकथाम**, आतंकवादी गतिविधियों तथा उनसे संबंधित मामलों से निपटने के लिये अधिनियमित किया गया था।
 - वधिविरुद्ध क्रियाकलापों को **भारत के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण** या अलगाव का समर्थन करने अथवा उसे उकसाने वाली कार्रवाइयों या इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न-चिह्न लगाने या उसका अनादर करने वाली कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)** को UAPA द्वारा देश भर में मामलों का अन्वेषण करने तथा मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।
- इसमें कई संशोधन किये गए (वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 में) जिसमें आतंकवादी वित्तपोषण, **साइबर आतंकवाद**, किसी व्यक्तिको आतंकवादी घोषित करने तथा संपत्ति की ज़बती से संबंधित प्रावधानों का वसितार किया गया।
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - वर्ष 2004 तक, "वधिविरुद्ध" क्रिया-कलापों का तात्पर्य अलगाव और क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद, "आतंकवादी कृत्य" को भी अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया।
 - वर्ष 2019 का संशोधन **सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।**
 - यह अधिनियम **केंद्र सरकार को** किसी भी क्रिया-कलाप को वधिविरुद्ध घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। यदि सरकार किसी गतिविधि/क्रिया-कलाप को वधिविरुद्ध या गैरकानूनी मानती है, तो वह आधिकारिक राज-पत्र (Official Gazette) में एक नोटिस प्रकाशित करके **इसे आधिकारिक तौर पर वधिविरुद्ध घोषित कर सकती है।**
 - UAPA के तहत, **अन्वेषण अभिकरण गरिफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप-पत्र दायर कर सकता है** तथा न्यायालय को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
 - भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। यह **अपराधियों पर** एक ही तरह से लागू होगा, भले ही अपराध भारत से बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
 - इसमें **उच्चतम सज़ा के रूप में मृत्युदंड** और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
- **संबंधित नरिणय:**
 - **अरूप भुयान बनाम असम राज्य, 2011** में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्तिको अपराधी नहीं माना जाएगा।** ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था उत्पन्न करने के इरादे से कोई कार्य करता है।
 - हालाँकि वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **ऐसे संगठनों में केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है, भले ही प्रत्यक्ष हिंसा न हुई हो।**
 - **पीपुल्स यूनिन फॉर सविले लिविंग बनाव भारत संघ, 2004** में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि आतंकवाद का मुकाबला करने में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो यह आत्म-पराजय होगी।
 - न्यायालय ने माना कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी को **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि उनका अनुभव मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन के बजाय अपराधों की जाँच से अधिक संबंधित है।
 - **मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ, 2018** में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कार्यों के खिलाफ वरिध प्रदर्शन वैध हैं, हालाँकि ऐसे वरिध प्रदर्शन तथा सभाएँ शांतपूरण एवं अहसिक होनी चाहिये।

नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की पहल

- **वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015**
- **समाधान**
- **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम**
- **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना:** सुरक्षा संबंधी व्यय के लिये 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में योजना लागू की गई।
 - यह **सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी ज़रूरतों**, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए/घायल हुए नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि भुगतान, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों और प्रचार सामग्री से संबंधित है।

- **अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों के लिये विशेष केंद्रीय सहायता (SCA):** इसका उद्देश्य सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्त्वपूर्ण अंतराल को भरना है, जो आकस्मिक प्रकृतिक हैं।
- **कलिबंद पुलसि स्टेशनों की योजना:** इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 604 कलिबंद पुलसि स्टेशनों का निर्माण किया गया है।
- **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE):** इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क में सुधार करना है।

वधियक की आलोचनाएँ और नहितारथ क्या हैं?

■ आलोचना:

- **अस्पष्टता और अतशियता:** आलोचकों का तर्क है कि वधियक की परिभाषाएँ बहुत अस्पष्ट तथा व्यापक हैं, जिससे दुरुपयोग हो सकता है। "सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा" और "अवज्ञा को प्रोत्साहित करना" जैसे शब्दों को व्यक्तिपरक तथा स्पष्टीकरण के लिये खुला माना जाता है।
- **नागरिक स्वतंत्रता को खतरा:** ऐसी चिंताएँ हैं कि इस वधियक का इस्तेमाल असहमतियों को दबाने तथा नक्सलवाद से लड़ने की आड़ में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनीतिक वरिधियों को नशाना बनाने के लिये किया जा सकता है।
- **न्यायिक नगिरानी:** UAPA के विपरीत, जिसमें **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण द्वारा गैरकानूनी संगठन घोषणाओं की पुष्टि की आवश्यकता होती है, MSPS वधियक पूरे न्यायाधीशों या पात्र व्यक्तियों के एक सलाहकार बोर्ड को यह कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे पर्याप्त न्यायिक नगिरानी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **दुरुपयोग की संभावना:** उचित नोटिस या सुनवाई के बिना संपत्ति ज़ब्त करने और बेदखल करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों का दुरुपयोग होने की संभावना है। गैर-कानूनी संगठनों की सहायता करने के लिये गैर-सदस्यों को दंडित करने की वधियक की शक्ति भी अतिक्रमण के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

■ कानूनी और सामाजिक नहितारथ:

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव:** गैर-कानूनी गतिविधियों की व्यापक परिभाषा वैध वरिध प्रदर्शन, सरकार की आलोचना और खोजी पत्रकारिता को आपराधिक बना सकती है।
- **न्यायिक पूर्ववृत्त:** न्यायालयों ने कठोर कानूनों को संकीर्ण रूप से परिभाषित करने और उनकी सख्ती से स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। MSPS वधियक की व्यापक परिभाषाएँ स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती हैं।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** इस वधियक में नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की क्षमता है, जिससे मानवाधिकार संगठनों की सक्रियता तथा वरिध बढ़ सकता है, जिससे लोकतांत्रिक समाजों में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डाला जा सकता है।

नषिकर्ष

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा वधियक, 2024, नक्सलवाद से निपटने के लिये राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि सरकार शहरी नक्सलवाद के उभरते खतरे से निपटने हेतु वधियक को एक आवश्यक उपकरण के रूप में उचित ठहराती है, व्यापक और सख्त प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता तथा संभावित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करती हैं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन वधियक के भावी व महाराष्ट्र के कानूनी और सामाजिक ताने-बाने पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होगा।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में नक्सली विद्रोह से निपटने में सरकारी नीतियों और उपायों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये। इन उपायों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. पछिडे क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक वसिथापनों का सामना करना पड़ता है, का वलिंगन (अलग करना) है। मलकानगरी और नक्सलबाडी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी वचिारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फरि से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. भारतीय संवधान की धारा 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उनकी पाँचवीं सूची के कार्यान्वयन न करने से वामपंथी पक्ष के चरम पंथ पर प्रभाव का वशिलेषण कीजिये। (2013)

प्रश्न. भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिये? (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/maharashtra-special-public-security-bill-2024>

